

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 21/06/2005

क्रमांक एफ- 10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(34):: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु भूमि, भवन-शेड के क्रय/पट्टे के लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है:-

- (1) नवीन लघु उद्योगों की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 32 उद्योगों को छोड़कर) ।
- (2) लघु उद्योगों से भिन्न निम्नांकित नवीन उद्योगों की स्थापना :-
 - (एक) - हर्बल तथा वनोषधि प्रसंस्करण
 - (दो) - आटोमोबाईल, आटो कम्पोनेन्ट एवं स्पेयर्स एवं सायकिल उद्योग
 - (तीन) - प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
 - (चार) - एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
 - (पांच) - खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्त हेतु अनुमोदित उद्योग)
 - (छः) - मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
 - (सात) - फार्मास्यूटिकल उद्योग
 - (आठ) - व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पाद
 - (नौ) - अपरम्पागत सूत्रों से विद्युत उत्पादन
 - (दस) - सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
 - (ग्यारह) - वनोपज पर आधारित उद्योग
 - (बारह) - लौह एवं इस्पात का निर्माण तथा इस पर आधारित उद्योग
 - (तेरह) - सीमेन्ट एवं सीमेन्ट पर आधारित उद्योग
 - (चौदह) - कोयला एवं अन्य रसायन उद्योग
 - (पंद्रह) - कीमती पत्थर व आभूषण
 - (सोलह) - ग्रेनाईट पर आधारित उद्योग
 - (सत्रह) - सड़क अधोसंरचना
 - (अठारह) - शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है ।
 - (उन्नीस) - जल प्रदाय
 - (बीस) - उर्जा उत्पादन पारेषण एवं वितरण
 - (इक्कीस) - राईस ब्रान आयल साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
 - (बाईस) - धान के पुवाल पर आधारित बोर्ड व पेपर मिल
 - (तेईस) - कोल्ड स्टोरेज
 - (चौबीस) - लेमन ग्रास आयल, मेन्थाल आयल
 - (पच्चीस) - बांस पर आधारित कागज उद्योग
 - (छब्बीस) - फूलों पर आधारित आयुर्वेदिक दवा निर्माण
 - (सत्ताईस) - फूलों पर आधारित सेंट व परफ्यूम

.....2

- (3) उपर्युक्त क्रमांक 1 तथा 2 के अन्तर्गत आने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार ।
 (4) ऐसी अन्य नवीन औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2001-06 की कालावधि में उद्योग स्थापित करने हेतु दिनांक 01/11/2004 के पूर्व निर्धारित "प्रभावी कदम" उठाये हों ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु -

- (1) नवीन औद्योगिक इकाई, लघु औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार, प्रभावी कदम की वही परिभाषा मान्य होगी, जो औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित है ।
- (2) स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जो उद्योग आयुक्त के शर्ताधीन होंगे, मान्य किया जावेगा ।
- (3) स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह मुद्रांक शुल्क छूट दिनांक से 12.5% की दर से मय ब्याज सहित उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जावेगी ।
- (4) उक्त अधिसूचना दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील मानी जावेगी ।
- (5) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के0आर0 मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक: 21/06/2005

क्रमांक एफ- 10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच-:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(34), दिनांक: 21/06/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के0आर0 मिश्रा)
उप सचिव

परिशिष्ट-1

(छूट हेतु अपात्र उद्योगों की सूची)

- (1) आईस फैक्ट्री, आईस कैंडली, आईस फ्रूट बनाना ।
- (2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रिकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (3) मिठाई निर्माण, गजक व रेवडियां
- (4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
- (7) हालर मिल
- (8) बुक बाइंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
- (9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डक्राफ्ट को छोड़कर)
- (10) कलाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
- (11) ईट निर्माण, कवेलू निर्माण, (फ्लाइ एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रिकृत प्रक्रिया से ईट निर्माण को छोड़कर)
- (12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
- (13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
- (14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फयूल
- (15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (16) लाईम पावडर, लाईम चिप्स, डोलोमाइट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
- (17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
- (18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
- (19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
- (21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
- (22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
- (23) चाय का बलेंडिंग तथा पैकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (24) फोटो लेबोरिटीज
- (25) साबुन एवं डिटरजेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (26) सभी प्रकार के कूलर
- (27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
- (28) रबर स्टाम्प बनाना
- (29) बारदाना मरम्मत
- (30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
- (31) लेदर टेनरी
- (32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर)


(के0आर0 मिश्रा)
उप सचिव

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
[COMMERCIAL TAX (REGISTRATION) DEPARTMENT]
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR**

:: NOTIFICATION ::

Raipur, Dated: 21 /06 /2005

No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V/(34) :: In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby exempts stamp duty chargeable on the deeds executed for sale/lease of land, shed and building for setting up and industrial unit under Industrial policy 2004-09 for the following purposes: -

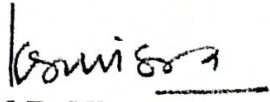
- (1) New small scale industries (excluding the 32 industries enlisted in the enclosed Annexure -1)
- (2) Establishment of following industries other than small scale industries :-
 - (1) Herbal and medicinal plant processing Industries.
 - (2) Automobile, auto components, spares and cycle industries.
 - (3) Manufacturing of plant/machinery/engineering spares.
 - (4) Downstream products based on Aluminium.
 - (5) Food processing (industries approved by the Government of India for subsidy/assistance).
 - (6) Milk chilling plant & branded dairy products.
 - (7) Pharmaceutical industry.
 - (8) White goods and electronic consumer products.
 - (9) Power generation through non-conventional sources.
 - (10) Information technology, bio technology and advance technology.
 - (11) Forest produce based processing industries.
 - (12) Iron and steel and industries based thereon.
 - (13) Cement and cement based industries.
 - (14) Coal and chemical industries.
 - (15) Precious stones and ornaments.
 - (16) Granite based industries.
 - (17) Road infrastructure
 - (18) Urban infrastructure including development of new Raipur city .
 - (19) Water supply.
 - (20) Energy generation, transmission and distribution.
 - (21) Rice bran oil solvent extraction plant.
 - (22) Board and paper mill based on paddy waste.
 - (23) Cold Storage.

- (24) Lemon grass oil, menthol oil.
 - (25) Bamboo based paper industries.
 - (26) Flower based ayurvedic medical manufacturing
 - (27) Flower based scents and perfumes.
- (3) Expansion of the existing industrial units included above in clause (1) and (2)
- (4) Other new industrial units who have undertaken "effective steps" before 01-11-04 to establish an industry during the time period of Industrial policy 2001-06.

Explanations:- for the purpose of this notification.

1. "New Industrial Units", "Small Industrial Units", "Existing Industrial Unit", "Expansion of the Existing Industrial Unit", "Effective Steps" shall be as defined in Annexure-1 of Industrial policy 2004-09.
2. A certificate under terms & conditions of industrial policy mentioned therein issued by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district in case of small scale industries and by the Commissioner of Industries or an officer so authorised, for industries other than small scale industries – shall be accepted for exemption of stamp duty.
3. The exemption of stamp duty so granted shall become ineffective (immediately) for breach of the conditions mentioned therein and the stamp duty so exempted shall be recovered by the Department of Industries, as arrears of land revenue along with an interest at the rate of 12.5% from the date of exemption.
4. The said notification shall deemed to have come into force with effect from 01/11/2004.
5. No exemption from the payment of stamp duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this nitification in the Gazette.

**By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh.**

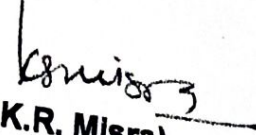

**(K.R. Misra)
Deputy Secretary**

**(Enclosed Commercial Tax(Registration) Department
Notification No.-(34), Dated-21-06-2005)**

ANNEXURE-1

(Industrial Units ineligible for exemption from Stamp duty)

- (1) Ice factory, manufacturing of ice cream, ice candy and ice fruit
- (2) confectionery, biscuit and bakery products (excluding certified packaged and branded products obtained from mechanized process)
- (3) Manufacturing of sweets, gazak and rewadi
- (4) Manufacturing of namkin, purification of edible salt (excluding standardized packaged and branded products)
- (5) Grinding of masala and chillies, manufacturing of papad (excluding standardized packaged and branded products)
- (6) Flour mill (excluding products)
- (7) Huller mill
- (8) Book binding, manufacturing of envelopes, paper bags, playing cards and paper cone
- (9) Saw mill, all types of wooden items, carpentry, wooden furniture (excluding wooden handicraft)
- (10) Cloth/paper printing press (excluding handicraft printing and offset printing)
- (11) Manufacturing of bricks, ridges (excluding fly ash bricks, fire bricks and brick manufacturing from mechanized process)
- (12) Tyre rethreading (job work)
- (13) Stone crusher, manufacturing of ballast (gitti)
- (14) Coal briquette, coke and coal screening, coal fuel
- (15) Powdering of mineral (excluding standardised branded products)
- (16) Manufacturing of lime powder, lime chips, dolomite powder, mineral powder and Lime
- (17) Lamination (excluding lamination of jute bag)
- (18) Electrical job work
- (19) Soda/mineral/distilled water (excluding standardized branded products)
- (20) Preparation of pan masala, supari, tobacco gutkha
- (21) Manufacturing of crackers, Aatishbaji
- (22) Repacking of goods
- (23) Blending and packing of Tea (excluding standardized branded products)
- (24) Photo laboratories
- (25) Soap and Detergent (excluding standardized branded products)
- (26) All types of Coolers
- (27) Photocopying and Stenciling
- (28) Rubber stamp making
- (29) Bardana repairing
- (30) Polythene bags (excluding H.D.P.E.)
- (31) Leather tannery
- (32) Public undertakings of Government of India or any State Government (excluding joint undertakings with private companies)


(K.R. Misra)
Deputy Secretary
Finance & Planing

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: आधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 21/06/2005

क्रमांक एफ- 10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(35) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित विलेखों पर उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन/उद्योग मंत्रालय, भारत शासन द्वारा जारी किये गये यथा-स्थिति विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना/आशय पत्र/लायसेंस जारी करने की तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-

- (1) नवीन लघु उद्योगों की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 32 उद्योगों को छोड़कर) ।
- (2) लघु उद्योगों से भिन्न निम्नांकित नवीन उद्योगों की स्थापना :-
 - (एक) - हर्बल तथा वनोष्धि प्रसंस्करण
 - (दो) - आटोमोबाईल, आटो कम्पोनेन्ट एवं स्पेयर्स एवं सायकिल उद्योग
 - (तीन) - प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
 - (चार) - एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
 - (पांच) - खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
 - (छः) - मिल्क चिलिंग प्लांट तथा बांडेड डेयरी उत्पाद
 - (सात) - फार्मास्यूटिकल उद्योग
 - (आठ) - व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पाद
 - (नौ) - अपरम्पागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन
 - (दस) - सूचना पौद्योगिकी, जैव पौद्योगिकी तथा उन्नत पौद्योगिकी
 - (ग्यारह) - वनोपज पर आधारित उद्योग
 - (बारह) - लौह एवं इस्पात का निर्माण तथा इस पर आधारित उद्योग
 - (तेरह) - सीमेन्ट एवं सीमेन्ट पर आधारित उद्योग
 - (चौदह) - कोयला एवं अन्य रसायन उद्योग
 - (पंद्रह) - कीमती पत्थर व आभूषण
 - (सोलह) - ग्रेनाईट पर आधारित उद्योग
 - (सत्रह) - सड़क अधोसंरचना
 - (अठारह) - शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है
 - (उन्नीस) - जल प्रदाय
 - (बीस) - उर्जा उत्पादन पारेषण एवं वितरण
 - (इक्कीस) - राईस ब्रान आयल साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
 - (बाईस) - धान के पुवाल पर आधारित बोर्ड व पेपर मिल
 - (तेईस) - कोल्ड स्टोरेज
 - (चौबीस) - लेमन ग्रास आयल, मेन्थाल आयल

.....2

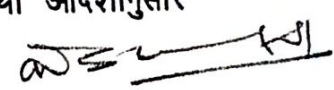
- (पच्चीस) - बांस पर आधारित कागज उद्योग
 (छब्बीस) - फूलों पर आधारित आयुर्वेदिक दवा निर्माण
 (सत्ताईस) - फूलों पर आधारित सेंट व परफ्यूम

- (3) उपर्युक्त क्रमांक 1 तथा 2 के अन्तर्गत आने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार ।
 (4) ऐसी अन्य नवीन औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2001-06 की कालावधि में उद्योग स्थापित करने हेतु दिनांक 01/11/2004 के पूर्व निर्धारित "प्रभावी कदम" उठाये हों ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु -

- (1) नवीन औद्योगिक इकाई, लघु औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार, प्रभावी कदम की वही परिभाषा मान्य होगी, जो औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित है ।
 (2) स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जो उद्योग आयुक्त के शर्ताधीन होंगे, मान्य किया जावेगा ।
 (3) स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह मुद्रांक शुल्क छूट दिनांक से 12.5% की दर से मय ब्याज सहित उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जावेगी ।
 (4) उक्त अधिसूचना दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील मानी जावेगी ।
 (5) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (के0आर0 मिश्रा)
 उप सचिव

रायपुर, दिनांक: 21/06/2005

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच-:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(35), दिनांक: 21/06/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार

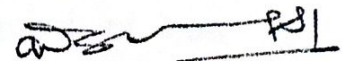

 (के0आर0 मिश्रा)
 उप सचिव

र. (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 35, दिनांक-21.06.2005 का संलग्नक)

परिशिष्ट-1

(छूट हेतु अपात्र उद्योगों की सूची)

- (1) आईस फ़ैक्ट्री, आईस कैंडली, आईस फ़्रूट बनाना ।
- (2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रिकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (3) मिठाई निर्माण, गजक व रेवडियां
- (4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
- (7) हालर मिल
- (8) बुक बाइंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
- (9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्ड्रीक्राफ्ट को छोड़कर)
- (10) कलाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्ड्रीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
- (11) ईट निर्माण, कवेलू निर्माण, (फ्लाय एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रिकृत प्रक्रिया से ईट निर्माण को छोड़कर)
- (12) टायर रिट्रैडिंग (जॉब वर्क)
- (13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
- (14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल प्यूल
- (15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (16) लाईम पावडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
- (17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
- (18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
- (19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
- (21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
- (22) रिपैकिंग ऑफ गुड्स
- (23) चाय का ब्लेंडिंग तथा पैकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (24) फोटो लेबोरिटीज
- (25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
- (26) सभी प्रकार के कूलर
- (27) फोटो कापिंग, स्टैंसिलिंग
- (28) रबर स्टाम्प बनाना
- (29) बारदाना मरम्मत
- (30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
- (31) लेदर टेनरी
- (32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर)



(के०आर० मिश्रा)

उप सचिव

वित्त तथा योजना

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
[COMMERCIAL TAX (REGISTRATION) DEPARTMENT]
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR**

:: NOTIFICATION ::

Raipur, Dated: 21 /06 /2005

No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V/(35) :: In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby exempts stamp duty on documents executed for loans/advances to be taken by industrial unit from bank/financial institutions up to a period of 3 years from the date of registration of the unit or industrial entrepreneur memorandum certificate, Industrial licence or letter of intent from Govt. of India and holds a production certificate issued by the competent authority under Industrial policy 2004-09 for the following purposes: -

- (1) New small scale industries (excluding the 32 industries enlisted in the enclosed Annexure -1)
- (2) Establishment of following industries other than small scale industries :-
 - (1) Herbal and medicinal plant processing Industries.
 - (2) Automobile, auto components, spares and cycle industries.
 - (3) Manufacturing of plant/machinery/engineering spares.
 - (4) Downstream products based on Aluminium.
 - (5) Food processing (industries approved by the Government of India for subsidy/assistance).
 - (6) Milk chilling plant & branded dairy products.
 - (7) Pharmaceutical industry.
 - (8) White goods and electronic consumer products.
 - (9) Power generation through non-conventional sources.
 - (10) Information technology, bio technology and advance technology.
 - (11) Forest produce based processing industries.
 - (12) Iron and steel and industries based thereon.
 - (13) Cement and cement based industries.
 - (14) Coal and chemical industries.
 - (15) Precious stones and ornaments.
 - (16) Granite based industries.
 - (17) Road infrastructure
 - (18) Urban infrastructure including development of new Raipur city .
 - (19) Water supply.

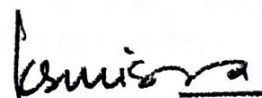
- //2//
- (20) Energy generation, transmission and distribution.
 - (21) Rice bran oil solvent extraction plant.
 - (22) Board and paper mill based on paddy waste.
 - (23) Cold Storage.
 - (24) Lemon grass oil, menthol oil.
 - (25) Bamboo based paper industries.
 - (26) Flower based ayurvedic medical manufacturing
 - (27) Flower based scents and perfumes.

- (3) Expansion of the existing industrial units included above in clause (1) and (2) above
- (4) Other new industrial units who have undertaken "effective steps" before 01-11-04 to establish an industry during the time period of Industrial policy 2001-06.

Explanations:- for the purpose of this notification.

- (1) "New Industrial Units", "Small Industrial Units", "Existing Industrial Unit", "Expansion of the Existing Industrial Unit", "Effective Steps" shall be as defined in Annexure-1 of Industrial policy 2004-09.
- (2) A certificate under terms & conditions of industrial policy mentioned therein issued by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district in case of small scale industries and by the Commissioner of Industries or an officer so authorised, for industries other than small scale industries – shall be accepted for exemption of stamp duty.
- (3) The exemption of stamp duty so granted shall become ineffective (immediately) for breach of the conditions mentioned therein and the stamp duty so exempted shall be recovered by the Department of Industries, as arrears of land revenue along with an interest at the rate of 12.5% from the date of exemption.
- (4) The said notification shall deemed to have come into force with effect from 01/11/2004.
- (5) No exemption from the payment of stamp duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh.



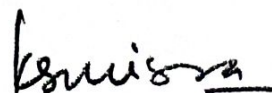
(K.R. Misra)
Deputy Secretary

**(Enclosed Commercial Tax(Registration) Department
Notification No.-(35), Dated-21-06-2005)**

ANNEXURE-1

(Industrial Units Ineligible for exemption from Stamp duty)

- (1) Ice factory, manufacturing of ice cream, ice candy and ice fruit
- (2) confectionery, biscuit and bakery products (excluding certified packaged and branded products obtained from mechanized process)
- (3) Manufacturing of sweets, gazak and rewadi
- (4) Manufacturing of namkin, purification of edible salt (excluding standardized packaged and branded products)
- (5) Grinding of masala and chillies, manufacturing of papad (excluding standardized packaged and branded products)
- (6) Flour mill (excluding products)
- (7) Huller mill
- (8) Book binding, manufacturing of envelopes, paper bags, playing cards and paper cone
- (9) Saw mill, all types of wooden items, carpentry, wooden furniture (excluding wooden handicraft)
- (10) Cloth/paper printing press (excluding handicraft printing and offset printing)
- (11) Manufacturing of bricks, ridges (excluding fly ash bricks, fire bricks and brick manufacturing from mechanized process)
- (12) Tyre rethreading (job work)
- (13) Stone crusher, manufacturing of ballast (gitti)
- (14) Coal briquette, coke and coal screening, coal fuel
- (15) Powdering of mineral (excluding standardised branded products)
- (16) Manufacturing of lime powder, lime chips, dolomite powder, mineral powder and Lime
- (17) Lamination (excluding lamination of jute bag)
- (18) Electrical job work
- (19) Soda/mineral/distilled water (excluding standardized branded products)
- (20) Preparation of pan masala, supari, tobacco gutkha
- (21) Manufacturing of crackers, Aatishbaji
- (22) Repacking of goods
- (23) Blending and packing of Tea (excluding standardized branded products)
- (24) Photo laboratories
- (25) Soap and Detergent (excluding standardized branded products)
- (26) All types of Coolers
- (27) Photocopying and Stenciling
- (28) Rubber stamp making
- (29) Bardana repairing
- (30) Polythene bags (excluding H.D.P.E.)
- (31) Leather tannery
- (32) Public undertakings of Government of India or any State Government (excluding joint undertakings with private companies)



(K.R. Misra)
Deputy Secretary
Finance & Planing